



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-सिंगरौली

III/मिगरनी/सिंगरौली/भू-रा/2017/५२६४

श्री विवेदकगण
द्वारा आज दि. ०३.११.१७ को
प्रस्तुत

- 1- मुदस्तिसर हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
2- मुजबिर हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
3- मुजविकर हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
निवासीगण- ग्राम गोरवानी तहसील सरई
जिला - सिंगरौली (म.प्र.)

--आवेदकगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला
सिंगरौली (म.प्र.)

--अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील सरई द्वारा प्रकरण क्रमांक
9/अ6अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 के विरुद्ध
म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम गोरवानी में स्थित आराजी खसरा क्रमांक पुराना 59 रकवा 2. 549 है 0 87 मिन रकवा 2.30 है 0 91 मिन रकवा 2.156 है 0, 102 रकवा 6.290 है 0 कुल किता 4 कुल रकवा 13.627 है 0 का मूलतः पट्टा आवेदकगण के नाना कासिम खाँ बल्द नूर मोहम्मद मुसा के नाम वर्ष 1958-59 के वार्षिक खतौनी एवं खसरा वर्ष 1954 से लगातार 1960-61 से लगायत 1974-75 तक के पुराने अभिलेखों में दर्ज भूमि स्वामी अभिलेख था। जो सहवन गत् वर्ष 1975 में म.प्र. शासन अंकित किया गया था जिसका खसरा सुधार हेतु नाना कासिम खाँ बल्द नूर मोहम्मद के द्वारा तहसीलदार सिंगरौली प्रभारी माडा में आवेदन पत्र पेश किया गया जो प्रकरण क्रमांक 14/अ6अ/1974-75 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 10.01.1976 से स्वीकार किया गया। जिसके पालन में हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरुस्त करते हये खसरा पंचशाला वर्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबंध आदेश प्रष्ठ

(65)

प्रकरण क्रमांक III/एन/ग/201/17/14264

मुद्रा/संग्रह/ग/1/108

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--------------------------------------

०९/०१/१९

आवेदक की ओर से श्री दिनांक २८/०९/१९ अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नं८-२१२४ के प्रकरण क्रमांक ९/३०-६-३/१६-१४ में पारित आदेश दिनांक २६-१०-१४ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला २१०१८/१०१ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २२/०४/१९ को कलेक्टर जिला २१०१८/१०१ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य